कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री शरद जैन, 181, ए / बी-10, उदयगिरी-2, सेक्टर-34, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**012 / 14, 11.02.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री वी0 के0 मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री शरद जैन, 181, ए / बी-10, उदयगिरी-2, सेक्टर-34, नोएडा द्वारा दिनांक 11.02.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा Earthing Electrodes पर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री वी0 के0 मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-44 '' Electrodes & welding equipments. " के अन्तर्गत Earthing Electrodes पर भी 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। तदनुसर करदेयता का बिन्दु निर्णीत करने का अनुरोध किया गया।

3. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-1331 दिनांक 14.03.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा Earthing Electrodes नामक वस्तु को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-44 से आच्छादित माना गया है किन्तु यह स्पष्ट है कि शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-44 में केवल Electrodes & welding equipments. का ही उल्लेख है न कि Earthing Electrodes का इसलिए Earthing Electrodes को अवर्गीकृत वस्तु मानते हुए इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होगी।

4. उपरोक्त सन्दर्भ में विधि समिति की राय प्राप्त की गयी। विधि समिति द्वारा कहा गया कि सर्वश्री प्रदीप अगरबत्ती बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1997 (96) ELT 219 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि -'' Entries in the Schedule of Sales Tax and Excise statutes list some articles separately and some articles are grouped together. When they are grouped together, each word in the entry draws colour from the other words therein. This is the principle of *noscitur a sociis*. '' माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि कर अनुसूची की प्रविष्टियों में जहाँ पर कुछ वस्तुएं ग्रुप में अंकित होती हैं वहाँ प्रत्येक शब्द एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में अर्थ रखते हैं। अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-44 पर Electrodes & welding equipments की प्रविष्टि अंकित है। फलस्वरूप यहाँ Electrodes का अर्थ welding equipments के परिप्रेक्ष्य में है। अत: Earthing Electrodes इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है और इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत

....2

वस्तु की भॉंति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि समिति की संस्तुति का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-44 पर '' Electrodes & welding equipments. '' की प्रविष्टि अंकित की गयी है। इस प्रविष्टि में दो भाग हैं। पहला Electrodes तथा दूसरा welding equipments। Welding equipments शब्द के साथ रखे जाने के कारण Electrodes का तात्पर्य welding electrodes से ही है। welding के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले Electrode इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं हैं। सर्वश्री प्रदीप अगरबत्ती बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1997 (96) ELT 219 के मामले में निर्णय देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि-''Entries in the Schedule of Sales Tax and Excise statutes list some articles separately and some articles are grouped together. When they are grouped together, each word in the entry draws colour from the other words therein. This is the principle of *noscitur a sociis*.'' इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मत से स्पष्ट है कि कर अनुसूची की प्रविष्टियों में जहॉं पर कुछ वस्तुएं ग्रुप में अंकित होती हैं वहॉं प्रत्येक शब्द एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में अर्थ रखते हैं। अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-44 पर अंकित प्रविष्टि में Electrodes शब्द का प्रयोग welding equipments के साथ किया गया है। इसलिए Electrodes का अर्थ welding equipments के परिप्रेक्ष्य में है। Earthing Electrodes इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है, और न ही Earthing Electrodes का अन्य किसी अनुसूची में उल्लेख है। अत: Earthing Electrodes उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में न आने के कारण, इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 05 अगस्त, 2015

ह0 / 05.08.2015

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।